कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्यप्रदेश, भोपाल
(कक्ष–प्रोजेक्ट) सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, भोपाल

क्रमांक/प्रोजेक्ट/ 11 भोपाल,दिनांक 14-1-2022

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
समस्त क्षेत्र संचालक, टाईगर रिजर्व/ संचालक, रांष्ट्रीय उद्यम
समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश

विषयः वन ग्रामों में विकास कार्य के संबंध में।

––0––

विभाग द्वारा समग्र वन ग्राम विकास योजना के तहत मध्यप्रदेश कें 935 वन ग्रामों में से 30 वीरान वनग्रामों को छोड़कर शेष 895 वन ग्रामों में 30.00 लाख राशि प्रति वन ग्राम के मान से अधोसंरचना कार्य स्वीकृत किये गये थे। इसके अतिरिक्त संघ द्वारा अधोसंरचना विकास, कैम्पा मद से आस्थामूलक कार्य, मनरेगा आदि अन्य योजनाओं में भी अधोसंरचना विकास के कार्य किये गये है।

योजना के समाप्ति उपरांत काफी समय व्यतीत हो चुका है। अतः पूर्व में कराये गये कार्यो के वर्तमान स्थिति के साथ–साथ वन ग्रामों के अधिवासियो के मूलभूत सुविधा का पुनः आंकलन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः पूर्व में योजना के अंतर्गत संपन्न मुख्य अधोसंरचना कार्यो का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. सामाजिक कार्य (आंगनबाड़ी, शौचालय, सामुदायिक भवन, रोड, पुलिया/रपटा आदि का निर्माण)
2. जल संसाधन कार्य (तालाब, नहर, स्टापडैम, हैण्ड पम्प, ट्यूब वैल, कुआ, एनीकट आदि का निर्माण)
3. ऊर्जा (सौर ऊर्जा–संयत्र, बायोगैस, एल.पी.जी. आदि)

इन कार्यो से लाभान्वित परिवारों में संख्या, कार्यो की वर्तमान स्थिति, मरम्मत की आवश्यकता होने पर अनुमानित मरम्मत राशि का आंकलन कर संलग्न प्रपत्र–1 में उपरोक्त मुख्य मदों अनुसार कार्यवार तैयार कर प्रस्तुत करें। जिससे सफल एवं उपयोगी कार्यो के प्रलेखीकरण के साथ–साथ मरम्मत हेतु आवश्यक राशि का व्यवस्था बावत् प्रयास किया जावेगा।

समग्र वन ग्राम विकास योजना के समाप्ति के उपरांत आदिनांक तक संघ से अधोसंरचना विकास मद, कैम्पा में आस्थामूलक मद, पंचायत, मनरेगा, वन विभाग तथा अन्य विभाग/मदों से अगर कोई कार्य वन ग्रामों में कराये गये है, तो उसका विवरण संलग्न प्रपत्र–2 में प्रस्तुत की जावे।

आज की स्थिति में वन ग्रामों में मूलभूत विकास हेतु अगर कोई कार्यो की आवश्यकता है तो पूर्ण औचित्य के साथ अनुमानित लागत दर्शाते हुये संलग्न प्रपत्र–3 में प्रस्तुत की जावे। कार्यों को रेन्डम्ली न दिखाते हुये प्रथम पैरा में उल्लेखित 3 विशेष मदों के अंतर्गत ही दर्शाया जावे।

अंत में वन ग्राम वार मरम्मत योग्य/नवीन प्रस्तावित कार्यो के गोशवारा संलग्न प्रपत्र–4 में प्रस्तुत की जावे। पूर्व निर्मित अधोसंरचना कार्यो में मरम्मत तथा आवश्यक नवीन कार्यो हेतु वन विभाग के अतिरिक्त अन्य कोई योजना से वित्तीय संसाधन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जा सकती है, तो रिमार्क कॉलम में तदानुसार उल्लेख किया जावे।

संलग्नः प्रपत्र– 1,2,3,4

R.Gupta
14/1/22

(रमेश कुमार गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्यप्रदेश भोपाल

F:\project letter.doc

प्रपत्र–1 (योजनांतर्गत सम्पादित कार्य)

अ.क्र.	कार्य के मुख्य मद	परिक्षेत्र	वन ग्राम	जनसंख्या	कार्य का विवरण	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कार्य की वर्तमान स्थिति			मरम्मत हेतु आवश्यक राशि	रिमार्क
							क्रियाशील	मरम्मत की आवश्यकता	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. सामाजिक 2. जल संसाधन 3. ऊर्जा										

* वृत्तों से प्राप्त जानकारी अनुसार वन ग्राम विकास योजना अंतर्गत 1461 तालाब/स्टापडेम का निर्माण कराया गया था। स्टापडैम से लाभान्वित परिवारों के संख्या के साथ–साथ सिंचित रकवा तथा फसल का आंकड़ा का भी उल्लेख की जावे।

** योजना अंतर्गत 21647 हितग्राहियों को एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराया गया । उनके रीफिलिंग की स्थिति दर्शाया जावें।

*** योजना अंतर्गत 59444 बायो गैस की स्थापना की गई थी। उनके वर्तमान स्थिति (चालू/बंद) दर्शाया जावे।

प्रपत्र–2 (वन्यग्राम विकास योजना के अतिरिक्त अन्य मदों से कराये गये कार्यों का विवरण)

अ.क.	कार्य के मुख्य मद	परिक्षेत्र	वन ग्राम	कार्य का विवरण	संख्या	भौतिक माप	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. सामाजिक 2. जल संसाधन 3. ऊर्जा						

प्रपत्र–3 (नवीन आवश्यक कार्य)

अ.क्र.	कार्य के मुख्य मद	परिक्षेत्र	वन ग्राम	आवश्यक मूलभूत कार्य			औचित्य	अनुमानित राशि	रिमार्क
				विवरण	संख्या	भौतिक माप			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. सामाजिक 2. जल संसाधन 3. ऊर्जा								

प्रपत्र–4 (गोशवारा)

अ.क.	कार्य के मुख्य मद	परिक्षेत्र	वन ग्राम	मरम्मत योग्य कार्य		आवश्यक राशि	योग	कुल नवीन कार्य		आवश्यक राशि	योग	महायोग
				विवरण	संख्या			विवरण	संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. सामाजिक 2. जल संसाधन 3. ऊर्जा											